I

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–9/उपा0/बीज/विविध अनुदान–13/2014–313/कृ0, पटना, दिनांक– 15-1-2015

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा एकीकृत बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना, स्वर्णा सब–1 एवं सहभागी धान बीज वितरण का वर्ष 2014–15 में 1565.0708 लाख (पन्द्रह करोड पैंसठ लाख सात हजार अस्सी) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य वर्ग के लिए 1299.0088 लाख (बारह करोड़ निनान्वें लाख आठ सौ अस्सी) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा एकीकृत बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना, स्वर्णा सब–1 एवं सहभागी धान बीज वितरण तथा वर्ष 2014–15 में 1565.0708 लाख (पन्द्रह करोड पैंसठ लाख सात हजार अस्सी) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए तत्काल 1299.0088 लाख (बारह करोड़ निनान्वें लाख आठ सौ अस्सी) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

योजना कार्यान्वयन से फसलों के गुणवत्ता वाले बीज किसान को प्राप्त हो सकेगा। जिसके उपयोग से फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना– कृषि रोड मैप के अधीन राज्य में गुणवत्ता वाले बीज के नवीनतम प्रभेदों की उपलब्धता गांवो तक सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजनान्तर्गत राज्य के सभी राजस्व गाँव के 2 किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर आधार/ प्रमाणित स्टेज–1 बीज, बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जाना है। उत्पादित बीज का प्रयोग लाभुक द्वारा स्वंय एवं गांव के इच्छुक किसानों को ग्रामीण विनमय प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। नये प्रभेदों के बीज के उपयोग से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लायी जा सकेगी।

एकीकृत बीज ग्राम योजना– योजनान्तर्गत चिन्हित गांव के चिन्हित किसानों को बीज उत्पादन हेतु 60 प्रतिशत अनुदान पर दलहन एवं तेलहन फसलों के आधार/प्रमाणित स्टेज–1 बीज तथा अन्य फसलों के बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है। एकीकृत बीज ग्राम के किसानों को अनिवार्य प्रमाणीकरण से जोड़ा जायेगा। जो बीज उत्पादित होंगे उन्हें बिहार राज्य बीज निगम द्वारा क्रय किया जायेगा। क्रय किये गये बीज को अगले वर्ष मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना/अन्य विभागीय योजनाओं में किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्वर्णा सब–1 एवं सहभागी धान मिनीकिट बीज वितरण– बाढ़ एव सुखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को बाढ़ सहिष्णु प्रभेद स्वर्णा सब–1 एवं सुखारोधि प्रभेद सहभागी के बीज 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है। स्वर्णा सब–1 एवं सहभागी धान के बीज राज्यकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र एवं बिहार राज्य बीज निगम के निबंधित बीज उत्पादक किसान द्वारा उत्पादित है। इन प्रभेदों को लोकप्रिय बनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि विपरित परिस्थिति में भी धान का उत्पादन हो सके।

संतोष कुमार उत्तम

वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू० में)

राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना (रबी 2014–15)			
फसल	बीज ग्राम की संख्या	बीज की मात्रा (क्विंटल में)	बीज अनुदान राशि
गेहूँ		17856	562.464
चना		3761.76	270.84672
मसूर		3571.2	244.27008
कुल			**1077.5808**
राज्य योजनान्तर्गत एकीकृत बीज ग्राम (रबी 2014–15)			
गेहूँ	100	1000	17.50
चना	54	432	20.74
मसूर	60	240	10.94
जई	8	60	2.25
तीसी	16	32	0.88
मूंग	23	46	2.76
राई / सरसो	20	10	0.42
कुल			**55.49**
राज्य योजनान्तर्गत मिनीकिट बीज वितरण (खरीफ 2014)			
सहभागी धान		6000	144.00
स्वर्णा सब–1 धान		12000	288.00
कुल			**432.00**
कुल योग			**1565.0708**

(पन्द्रह करोड पैंसठ लाख सात हजार अस्सी रूपये)

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार तथा एकीकृत बीज ग्राम की एकीकृत राज्य योजना एवं स्वर्णा सब–1 एवं सहभागी धान बीज वितरण राज्य योजना से वहन किया जायेगा।

स्वर्णा सब–1, सहभागी धान बीज वितरण एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना के बीज अनुदान की राशि बिहार राज्य बीज निगम को दी जायेगी, जो कम्पनी एक्ट में निबंधित संस्था है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना रबी 2014–15 में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा आपूरित बीज के अनुदान राशि निगम को एवं रबी 2014–15 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना में सरकारी बीज कम्पनी के द्वारा आपूरित बीज के अनुदान राशि किसानों को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को आवंटित की जायेगी। प्रशिक्षण की राशि बामेती / आत्मा को दी जायेगी, जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन निबंधित संस्था है।

स्वर्णा सब–1, सहभागी धान बीज वितरण एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना में बीज की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम द्वारा किया जायेगा। रबी 2014–15 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना में बीज की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम एवं सरकारी बीज कम्पनियों द्वारा किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा आपूरित बीज के बाद शेष बीज की मात्रा सरकारी बीज कम्पनी के अधिकृत बीज विक्रेताओं द्वारा किसानों को बीज की आपूर्ति की जायेगी। संबंधित किसानों के द्वारा जैव उर्वरक की खरीद पर अनुमान्य राशि (कृषि विश्वविद्यालय का दर) जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से प्रतिपूर्ति की जायंगी। जैव उर्वरक के लिए जैविक खेती योजना में प्रावधान किया गया है।

स्वर्णा सब–1, सहभागी धान बीज वितरण एवं केन्द्रीय बीज ग्राम योजना के लिए फसलो का बीज बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। रबी 2014–15 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार

ह० संतोष कुमार उत्तम

योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना के लिए फसलो का बीज बिहार राज्य बीज निगम एवं सरकारी बीज कम्पनी द्वारा अपने अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज के विरूद्ध राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एवं सरकारी बीज कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज की अनुदान राशि की निकासी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। यह निकासी सामान्य विपत्र पर बिहार राज्य बीज निगम से प्राप्त अभिश्रव एवं किसान द्वारा सरकारी बीज कम्पनी के विक्रेता से क्रय किये गये वाउचर के आधार पर की जायेगी।

जैव उर्वरक के लिए राशि संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

योजना का वितीय वर्ष 2014–15 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्नप्रकार है–

(राशि लाख रू० में)

(क) बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि	आवश्यकता
राज्य योजना			
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103–बीज मांग संख्या–1 उपशीर्ष 0115 –बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401001030115 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-5017	31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	1700.00	1299.0088
	33 01 सब्सिडी	1684.00	
योग		**3384.00**	
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या–1 उपशीर्ष–0116–बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401007890116 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR–5017	31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	60.00	250.4113
	33 01 सब्सिडी	500.00	
योग		**560.00**	
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मांग संख्या–1 उपशीर्ष– 0146– बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401007960146	31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	16.00	15.6507
	33 01 सब्सिडी	40.00	
योग		**56.00**	
कुल योग		**4000.00**	**1565.0708**

संतोष कुमार उत्तम

(ख)

कुल प्रस्तावित प्रावधान चालू/ नवीन योजनाओं निमित	अबतक अनुशंसित राशि		शेष राशि	प्रस्तावित योजना की आवश्यकता
	योजना	राशि (लाख रू0 में)		
5000.00 लाख रूपये	1. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार तथा बीज ग्राम योजना की एकीकृत योजना का वर्ष 2014–15	236.72	4509.61	2533.6148
	2. धान बीज उत्पादक किसानों को बोनस (बिहार राज्य बीज निगम)	135.44317		
	3. बिहार राज्य बीज निगम को भंडार गृह, बीज प्रसंस्करण इकाई, पहुंचपथ निर्माण हेतु अनुशंसित राशि	118.227		
	कुल	490.3902		

2. योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन अनुदेश में प्रशासी विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकता है तथा योजना की आवश्यकता के हिसाब से यथावश्यक निर्णय लिया जा सकता है।
3. स्वीकृत राशि 1299.0088 लाख (बारह करोड निनान्वें लाख आठ सौ अस्सी) रूपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष–103–बीज मांग संख्या–1 उपशीर्ष 0115– बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401001030115, राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-5017 के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी में कुल उपबंधित 1684.00 लाख (सोलह करोड चौरासी लाख) रूपये से विकलनीय होगा।
4. निकासी के लिए स्वीकृत 1299.0088 लाख (बारह करोड निनान्वें लाख आठ सौ अस्सी) रूपये के अधीन बिहार राज्य बीज निगम द्वारा आपूरित बीज के अनुदान मद की राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सामान्य विपत्र पर की जा सकेगी। सरकारी बीज कम्पनी के द्वारा आपूरित बीज के अनुदान राशि किसानों को उपलब्ध कराने हेतु संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को आवंटित की जायेगी, जिसकी निकासी सामान्य विपत्र पर संबंधित कोषागार से की जा सकेगी।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602, दिनांक–20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक–03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या–9/उपा0/बीज/विविध अनुदान–13/2014 के पृ0सं0– 32/टि. पर दिनांक : 02.12.2014 को प्राप्त है।
6. वित विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–9/उपा0/बीज/विविध अनुदान–13/2014 के पृ0सं0–36/टि. पर दिनांक–31.12.14 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.1.15

(विश्वनाथ चौधरी)
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

संतोष कुमार उत्तम

ज्ञापांक– 313 /कृ0, पटना दिनांक– 15-1-2015

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.1.15

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 313 /कृ0, पटना दिनांक– 15-1-2015

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.1.15

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 313 /कृ0, पटना दिनांक– 15-1-2015

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.1.15

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 313 /कृ0, पटना दिनांक– 15-1-2015

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णिया/बजट/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.1.15

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 313 /कृ0, पटना दिनांक– 15-1-2015

प्रतिलिपिः– उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14.1.15

अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

संतोष कुमार उरांव

अनुसूची–1

ईकाई– लाख रू0 में

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल राशि
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	10.99584	2.11968	0.13248	13.24800
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा	10.02056	1.93167	0.12073	12.07296
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	11.62800	2.24154	0.14010	14.00964
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	7.97547	1.53744	0.09609	9.60900
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास	17.13439	3.30301	0.20644	20.64384
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ	12.19104	2.35008	0.14688	14.68800
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	0.40378	0.07784	0.00486	0.48648
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	5.50748	1.06168	0.06636	6.63552
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	3.16489	0.61010	0.03813	3.81312
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा	4.78080	0.92160	0.05760	5.76000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	16.97184	3.27168	0.20448	20.44800
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण	16.79017	3.23666	0.20229	20.22912
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज	13.95994	2.69107	0.16819	16.81920
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, प0 चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी	5.97600	1.15200	0.07200	7.20000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी	10.67075	2.05701	0.12856	12.85632
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय	9.08352	1.75104	0.10944	10.94400
25	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	7.17120	1.38240	0.08640	8.64000
26	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	3.34656	0.64512	0.04032	4.03200
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा	2.15136	0.41472	0.02592	2.59200
28	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई	14.39977	2.77586	0.17349	17.34912
29	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	10.99584	2.11968	0.13248	13.24800
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बॉका	15.29856	2.94912	0.18432	18.43200
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा	4.51308	0.86999	0.05437	5.43744
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियॉ	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया	7.09471	1.36765	0.08548	8.54784
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
38	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	2.92585	0.56402	0.03525	3.52512
	कृषि निदेशक	1073.85739	207.00865	12.93804	1293.80408
	कुल	**1299.00876**	**250.41133**	**15.65071**	**1565.07080**

संतोष कुमार उत्तम